कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निम

जनसूचना के अधिकार वे

क्र0सं0	बिन्दु
1.	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्त्तव्य
2	अपने अधिकारियों/कर्मचारियां की शक्तियॉ एवं कर्त्तव्य
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वॅय द्वारा निर्धारित मापमान
5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये हैं अथवा उनके नियन्त्रण में हैं।

क्र0सं0	बिन्दु
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण की क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिये खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।
9	अपने अधिकारियों/कर्मचारियां की निर्देशिका
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों।
11	सभी योजनाओं प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्योरे सम्बन्धित हैं।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियॉ

क्र0सं0	बिन्दु
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

ाण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, बिजनौर।

े अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

बिन्दुवार सूचना
जल निगम की जनपद इकाई बिजनौर के अन्तर्गत नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को शुद्ध पेयजल पेयजल योजनायें एवं हैण्डपम्प अधिष्ठापन कर उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त शासन की नीति एवं आवश्यकता अनुसार गंदे पानी की निकासी हेतु नालों एवं सीवरेज योजना का निर्माण कर व्यवस्था की जाती है एवं पेयजल श्रोतों को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु वाटर रिचार्ज हार्वेस्टिंग एवं चैक डैम आदि का निर्माण कर सुरक्षित रखने का प्रबन्ध किया जाता है। उपरोक्त बिन्दुओं से सम्बन्धित ऑकड़ो को संकलित कर सूचनायें मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती हैं।
अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इन्जीनियर, लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं फील्ड कर्मचारी कार्यरत हैं। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रमों का संचालन/निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय झालू रोड, लडापुरा वाटर वर्क्स के निकट स्थित है।
अधिशासी अभियन्ता नियन्त्रण अधिकारी के पद पर सृजित हैं, जिनके नियंत्रण में रहकर सभी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
संस्था द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, जूनियर इन्जीनियर्स, लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी एवं फील्ड कर्मचारी कार्यरत हैं। जिनके द्वारा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्णकर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।

बिन्दुवार सूचना
इस संस्था का जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन एवं जिला स्तर की कमेटियॉ जिसमें जनप्रतिनिधि भाग लते हैं, कार्यक्रमों को अनुमोदित कराया जाता है।
जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय/सुझाव ली जाती है, तदानुसार पेयजल, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर रिचार्जिंग आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय/सुझाव ली जाती है, तदानुसार पेयजल, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर रिचार्जिंग आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है।
विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक ऑकड़े अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, मुरादाबाद एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते हैं।
इस संस्था को बजट जिला योजना, राज्य योजना एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
डिपॉजिट कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्था द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। जिसका नियमानुसार व्यय कर बिल समायोजन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजा जाता है।
शासन के निर्देशानुसार शुद्ध पेयजल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए समाचार पत्रों, गोष्ठियों एवं विभिन्न प्रकार से प्रदशन कराये जाते हैं।

बिन्दुवार सूचना
संस्था द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं। आवश्यकतानुसार प्रिंट मीडिया से प्रचार–प्रसार कराया जाता है।
ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
जनसूचना अधिकारी इं0 हुकम सिंह, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, बिजनौर। सहायक जनसूचना अधिकारी–इं0 आर0के0 जैन सहायक अभियन्ता, श्री सुधीर माथुर संगणक, निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम, बिजनौर।

अधिशासी अभियन्ता